झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–924 वर्ष 2017

क्रिस्टीना होरो, पत्नी–स्वर्गीय प्रभासचंद्र हेम्ब्रोम, निवासी–ज्योतिनगर, डाकघर एवं थाना–तोरपा, जिला–खूंटी, झारखण्ड।

..... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य।

2. निदेशक, मानव संसाधन विभाग, प्रोजेक्ट भवन, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, जिला–रांची।

3. जिला शिक्षा अधीक्षक, डाकघर एवं थाना–सिमडेगा, जिला–सिमडेगा, झारखण्ड।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक**

याचिकाकर्ता के लिए :– मेसर्स परवेज अहमद खान और इग्नेशियस मिंज, अधिवक्तागण

उत्तरदाताओं के लिएः– वरिष्ठ एस0सी0–I का जे0सी0

04/06.03.2017 तत्काल रिट आवेदन में याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ–साथ, देय राशि पर अप्रयुक्त छुट्टी के लिए छुट्टी नकदीकरण के भुगतान के लिए प्रत्यर्थियों को रिट/निर्देश देने के लिए प्रार्थना की है क्योंकि इसका भुगतान याचिकाकर्ता को नहीं किया गया है।

2. तथ्य, जैसा कि रिट एप्लिकेशन में खुलासा किया गया है, यह है कि याचिकाकर्ता को उर्सुलिन कॉन्वेंट सिमडेगा गर्ल्स हाई स्कूल, सामटोली में सहायक शिक्षक के रूप में वर्ष 1983 में नियुक्त किया गया था और सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर

वे दिनांक 30.09.2016 को सेवानिवृत्त हुए थे। विचाराधीन स्कूल जहां से याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त हुए हैं, वह एक सरकारी सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक हाई स्कूल है और स्कूल के कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्त लाभों के भुगतान की सभी खर्च सरकारी खजाने से राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है।

3. पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता की शिकायत बहुत संकीर्ण दायरे में है और डब्ल्यू0पी0 (एस) सं0 506, 509 और 512 वर्ष 2013 में पारित इस न्यायालय के निर्णय से पूरी तरह से आच्छादित है। जहाँ तक छुट्टी नकदीकरण के भुगतान के लिए मुद्दा है, याचिकाकर्ता सरकारी सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक हाई स्कूल का सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और यह मुद्दा अब अनिर्णीत विषय का नहीं रहा, इस न्यायालय द्वारा मरियम तिर्की बनाम झारखंड राज्य और अन्य जो (2014 (1) जे0बी0सी0जे0 465) में रिपोर्ट किया गया है, में पारित निर्णय के मद्देनजर और अब माननीय उच्चतम न्यायाालय द्वारा दिनांक 15.12.2014 को विशेष अवकाश अपील (सी) संख्या (एस) 20606–20607/2014 में पारित निर्णय के द्वारा पुष्टि किया गया। तद्नुसार, याचिकाकर्ता को अवकाश नकदीकरण राशि के भुगतान के लिए पारित निर्णय के मद्देनजर रिट याचिका का निपटान किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने संबंधित प्रतिवादी को अनुलग्नक–2 के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, लेकिन उक्त आवेदन ने आज तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

5. उत्तरदाताओं के विद्वान वरिष्ठ एस0सी0–I के जे0सी0 यह विवाद नहीं करते हैं कि गैर–सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल के शिक्षकों को स्वीकार्य अवकाश नकदीकरण से संबंधित उपरोक्त मुद्दा अब मरियम तिर्की (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, द्वारा तय किया गया है।

6. पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, ऐसी परिस्थितियों में, रिट याचिका का निपटारा प्रतिवादी संख्या–3 को निर्देश देकर किया जाता है कि वह याचिकाकर्ता के संबंधित सेवा रिकॉर्ड की उचित जांच के बाद छुट्टी नकदीकरण राशि देने के मामले में निर्णय याचिकाकर्ता की ओर से अभ्यावेदन के साथ इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से बारह सप्ताह की अवधि के भीतर मरियम तिर्की (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय के मद्देनजर लें।

7. तद्नुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया0)